



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 26 फरवरी, 1982

फाल्गुन 7, 1903 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 759/सत्रह-वि-1-(क)-2-82

लखनऊ, 26 फरवरी, 1982

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 25 फरवरी, 1982 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1982

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1982]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह 31 दिसम्बर, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 26 फरवरी, 1982

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 30 सन्
1974 द्वारा पुनः
अधिनियमित
राष्ट्रपति अधि-
नियम संख्या 11
सन् 1973 की
धारा 59 का
संशोधन

निरसन और
अपवाद

2—उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 59 में, उपधारा (14) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1981" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" रख दिये जायेंगे।

3—(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 759(2)/XVII-V-1-(Ka)-2-1982

Dated Lucknow, February 26, 1982

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Yojana Aur Vikas (Sanshodhan) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1982), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on February 25, 1982.

THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT
(AMENDMENT) ACT, 1982

[U. P. ACT NO. 6 OF 1982]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.
IT IS HEREBY enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 1982.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 31, 1981.

2. In section 59 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (14), for the word and figures "December 31, 1981" the word and figures "December 31, 1982" shall be substituted.

3. (1) The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Ordinance, 1981 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

Short title and
commencement.

Amendment
section 59 of
President's Act
no. 11 of 1973 as
re-enacted by
U. P. Act no. 30
of 1974.

Repeal and
savings.